न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2021 (2021/........) दर्ज दिनांक 04.01.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. श्री लेहरू पिता लोभा जाट निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान।

––प्रार्थी

बनाम

1. श्री भैरू लाल पिता भागीरथ गाडरी निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री भगवती लाल टेलर

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–11.01.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम माकड़िया पटवार हल्का भूणासतहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 575 रकबा 0.01 हे0कुल किता 01 कुल रकबा 0.22 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 308 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं।प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 2 औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती है। प्रा[illegible] को सुना गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.18 16:36:29 IST
Reason: SelfAttested

बाद सुनवाई मैंने प्र[illegible] मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन [illegible] धारा 111, 128 ए[illegible]एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

1.

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम माकड़िया पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 575 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.22 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 308 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/— (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.18 16:36:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner